प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में गोकुल पुरस्कार के वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-145/ दुग्ध-4/नियो0/गोकुल पुरस्कार/2021-22, दिनांक-17 जून, 2022 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त अधिकतम दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'गोकुल पुरस्कार' से पुरस्कृत करने हेतु शासनादेश संख्या-658/53-2-18-2(24)/2013, दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अन्तर्गत स्थापित दुग्ध संघों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले एक-एक दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो और समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को सर्वाधिक दूध का विक्रय करने वाले प्रथम दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार क्रमश: रू0 2.00 लाख, रू0 1.50 लाख तथा शेष 73 जनपदों के दुग्ध उत्पादक विजेताओं को रू0 51000/- की दर से नगद पुरस्कार एवं पीतल धातु की एक-एक शील्ड, जिस पर एक गाय, दूध पीता बछड़ा तथा श्रीकृष्ण की निर्मित मूर्ति अंकित होगी, प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: "गोकुल पुरस्कार के वितरण" हेतु चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 55.73 लाख (रूपये पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र) के व्यय की निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन तालिका में अंकित मदों के अनुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	विवरण	संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
1	प्रदेश में समितियों के माध्यम से सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार रू0 2.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रू0 1.50 लाख	02	3.50
2	जनपद स्तरीय दुग्ध उत्पादक विजेता को रू0 51000.00/-(रू0 इक्यावन हजार मात्र) की दर से नकद पुरस्कार (73×51000)	73	37.23
3	दुग्ध उत्पादक विजेता को दी जाने वाली शील्ड तथा अन्य पर होने वाले व्यय की धनराशि(75×20000)	75	15.00
	योग-		**55.73**

नियम व शर्तों / प्रतिबन्धों-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथावश्यकता ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर, जिस खाते मे जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है, उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायेगा।

(4) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,73,000 (रुपये पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404008000300 गोकुल पुरस्कार का वितरण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या- 16/2022/490/001-53-2099-1408-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा- परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/ प्रयागराज ।
3- वरिष्ठआडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- प्रबंध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ /मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/समस्त दुग्ध संघ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1 , उ0प्र0 शासन।
10- सम्बिन्धत जिलाधिकारी।
11- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
ह0/-
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।